फर्द अहकाम

न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

सावित्री देवी बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष 87/2023 : ______ / 20__

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अन्य मुकदमा के साथ दि० 1/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	1/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित अध्यक्ष उभयपक्ष ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विधिवत निर्णय प्रारूप में लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता। पत्रावली का इन्द्राज रजिस्टर दर्ज न० से कम होकर तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 87/2023
निर्णय दिनांक :12.07.2024

1. सावित्री देवी पत्नी श्री रामेश्वर जाति यादव निवासी ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. रामनिवास पुत्र रामेश्वर
3. रामप्रसाद पुत्ररामेश्वर
4. विकास पुत्र मदनलाल
5. सावित्री देवी पत्नी मदनलाल समस्त जातियान ब्राहमण निवासीयान ग्राम गंवार ब्राहमाण तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी

निर्णय

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 230 की कृषि भूमि खाता संख्या 280 पुराना खाता न. 269 के खसरा न. 720 रकबा 0.2400 हैक्टयर ग्राम गंवार ब्राहमाण पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थगढी के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे तथा अप्रार्थीगण पत्थगढी के समय अशान्ति कर सकते है इसलिए पुलिस थाना सांगानेर सदर को पत्थगढी के समय उपस्थित होने के आदेश प्रदान करे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा न. 720 के सीमा जोड पर स्थित गैर मुमकिन रास्ता खसरा न. 723 रकबा 0.05 हैक्टयर है जो शिकारपुरा रोड से रिंग रोड पर जाता है। पर किसी प्रकार का व्यवधान कारित नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीया अपने द्वारा क्रय भूमि पर क्रय की दिनांक से ही मौके पर काबिज काश्त है उक्त वर्णित सीमाज्ञान के अनुसार भी प्रार्थीया अपने [illegible] दिनांक 02/06/2004 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की सम्पूर्ण भूमि [illegible] काबि[illegible] उक्त भूमि के उत्तर की ओर ख. नं. 721 स्थित है जि[illegible] [illegible]त कर रखे हैं। जिसके ठीक लगवा ख. नं. 720/1 में प्रार्थीया काबिज है। लेकिन प्रार्थीया अपनी क्रय भूमि 0.24 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पर काबि[illegible]होना चाहती है इस कारण वह मिन अप्रार्थीगण को बेवजह परेशान करती है। पत्र की मद नं. 4 गलत है, स्वीकार नहीं है दरअसल वादग्रस्त भूमि के वर्तमान व साबिक नक्शे में अन्तर है

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तथा प्रार्थी व अप्रार्थी का वर्तमान नक्शा साबिक नक्शे से छोटा हो गया है जिसके चलते जब पक्षकारों में सहमति तकासमा हुआ तबतकासमा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हो गया मौके पर प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार सम्पूर्ण 0.24 है भूमि पर काबिज है उक्त नक्शे में हुयी त्रुटि की जानकारी होते ही मिन अप्रार्थीगण ने घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का एक नियमित वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष उनवानी रामनिवास बनाम सावित्री देवी वगै. प्रस्तुत कर रखा है जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा स्टे जारी किया हुआ है। ऐसे में उस दावे के अन्तिम निर्णय तक उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 5, 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। तथा प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 कानूनी होने से जवाब आवश्यक नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 8, 9 कानूनी होने से जवाब का मोहताज नहीं है।अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी काप्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाये।

उपस्थित उभयपक्षकारानकी पत्रावली में बहस सुनी गई। हमने उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थीया की वाके ग्राम गंवार ब्राहमाण पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 230 की कृषि भूमि खाता संख्या 280 पुराना खाता न. 269 के खसरा न. 720 रकबा 0.2400 हैक्टयर की पत्थरगढी तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 03.06.2023 के अनुसार कायम करें। दौराने पत्थरगढी पुलिस इमदाद की सहायता प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested